

जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 से सम्बन्धित 17 बिन्दुओं की सूचना अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़।

1.परिक्षेत्र स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम -2005 के अन्तर्गत एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसमे एक जनसूचना अधिकारी, दो सहायक जनसूचना अधिकारी व एक म0मु0आरक्षी की नियुक्ति की गयी है।

2. जनसूचना अधिकारी/कर्मचारी के अधिकार तथा कर्तव्य- आवेदकों द्वारा माँगी जाने वाली सूचनाओं को जनसूचना अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों को आन्तरित करना एवं अधीनस्थ जनपदों से सूचना प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना।

सहायक जनसूचना अधिकारी की शक्तियां /कार्य- अपनी शाखा से सम्बन्धित सूचना को जनसूचना अधिकारी को समय से उपलब्ध कराना व प्रत्येक प्रकरणों से जनसूचना अधिकारी परिक्षेत्रीय कार्यालय को नियत समय से पूर्व अवगत कराना व प्रस्तुत कराना।

3.प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उसको आमद रजिस्टर करना एवं सम्बन्धित जनपदों को सूचना का अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत आन्तरित करना तथा सूचनाये प्राप्त कर सम्बन्धित को निर्धारित समय में उपलब्ध कराना।

4.निहित सीमा के अन्तर्गत सूचनाओं को सम्बन्धित जनपदों से प्राप्त करना व समय सीमा के अन्तर्गत आवेदक को सूचना उपलब्ध कराना होता है।

5.जनसूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन करना/कराना।

6.दस्तावेजों का श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है-

- कार्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्राप्त प्रा0पत्र।

- शासन/मा0आयोग से प्राप्त प्रा0पत्र।

- जोन कार्यालय द्वारा प्राप्त प्रा0 पत्र।

- अपीलीय प्रा0पत्र।

7.सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही हैं।

8. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

9.जनसूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन किया जाता है।

10. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

11. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

12. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

13. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

14. संगठन द्वारा प्रदत्त छूट अधिकार पत्र तथा अधिकृतियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण शून्य है।

15. इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप उपलब्ध करायी गयी सूचना - उक्त को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरुद्ध होने के बाद उसकी प्राप्ति के सम्बन्ध में अवगत कराया जायेगा।

16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम-पुलिस उपमहानिरीक्षक अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ कार्यालय में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित है-

क्र० सं०	नाम	पदनाम	कार्य
1	श्री इन्द्रजीत चौहान	प्रधान लिपिक/जनसूचना अधिकारी	व्यक्तियों/ संस्थाओं द्वारा मांगी गयी सूचना को अपने अधिनस्थ जनपदों से प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना व जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों को आन्तरित करना।
2	श्री अनिल सारस्वत	उ०नि०/सहायक जनसूचना अधिकारी	जनसूचना अधिकारी को अपनी शाखा से सम्बन्धित सूचना समय से उपलब्ध कराना व समस्त अभिलेखों का रखरखाव सुनिश्चित करना।
3	श्रीमती पारूल कुमारी	उ०नि०/सहायक जनसूचना अधिकारी	जनसूचना अधिकारी को अपनी शाखा से सम्बन्धित सूचना समय से उपलब्ध कराना व समस्त अभिलेखों का रखरखाव सुनिश्चित करना।
4	रूबी राणा	म०मु०आरक्षी	समस्त अभिलेखों का रखरखाव सुनिश्चित करना/ अनुस्मारक निर्गत करना एवं समस्त दस्तावेजों का अद्यतन करना।

17. . सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

[Signature]
20/04/2025

जनसूचना अधिकारी

कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक

अलीगढ़ परिक्षेत्र, अलीगढ़।

पत्र सं०- सीओएच- (ज०सू०प्र०वि०-01)/2025

दिनांक- अप्रैल 30, 2025